

फर्द अहकाम  
(नियम-26)

अज अदालत सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी, शिव

प्रार्थी / वादी	बनाम	विप्रार्थी / प्रतिवादी
नीम्बसिंह पुत्र बागसिंह जाति पुरोहित निवासी लखासर, तहसील शिव, बाड़मेर वगैरा (02)		किशनसिंह पुत्र पूंजराजसिंह जाति राजपूत निवासी लखासर, तहसील शिव बाड़मेर वगैरा (06)

किस्म मुकदमा राजस्व वाद (धारा 183,188 )

मुकदमा नम्बर 71/2021

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
09.07.2021	प्रार्थी/वादी/अपीलाण्ट के वकील श्री ईश्वरसिंह भाटी ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 183,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 के अंतर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेन्ट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब आईन्दा दिनांक 08/08/2021 को पेश हो।	
16/08/2021	पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली वास्ते में प्रार्थी द्वारा विप्रार्थी/जज के नोटिस/सम्मन पेश किये, जिसे शामिल पत्रावली दिनांक 03/09/2021 को पेश हो।	
03.09.21	पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली वास्ते प्रतिवादी जज को उपस्थिति हेतु अतिरिक्त अवसर दिनांक 03.09.21 को पेश हो।	
13.09.21	पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली वास्ते प्रतिवादी जज को उपस्थिति हेतु अतिरिक्त में अतिरिक्त अवसर दिनांक 09.11.21 को पेश हो।	

सहायक कलक्टर  
शिव (बाड़मेर)

सहायक कलक्टर  
शिव (बाड़मेर)

सहायक कलक्टर  
शिव (बाड़मेर)

सहायक कलक्टर  
शिव (बाड़मेर)



नम्बर  
अहकाम  
हुकम  
में जारी हुए

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुए

8.25

पत्रावली पेश हुई।  
वादी/प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित।  
पत्रावली में आज कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं होने के  
कारण इल्लवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार  
दिनांक 3.9.25 को पेश हो

3.9.25

पत्रावली पेश। वादी वकील उपस्थित।  
पत्रावली बास्ते साक्ष्य वादी हेतु दिनांक  
3.10.25 को पेश हो

सहायक कलक्टर  
शिव (वाड़मेर)

03.10.25

पत्रावली पेश। वादी वकील अनुपस्थित।  
पत्रावली में पेशी हेतु वादी व वकील  
को न्यायालय सभल में रुक-रुक कर  
आवाजे दी जाने के बावजूद कोई स्थिति  
नहीं। अलग पत्रावली में प्रभावी पेशी नहीं  
होने तथा अनुपस्थित रहने पर इम्त  
वाद इसी तरेज पर अदालत हाजरी व  
अदालत पेशी में खारिज किया जाता  
है।

पत्रावली पेश। वादी वकील हेतु नम्बर ले कर  
होकर दाखिल रफ्तार हो

सहायक कलक्टर  
शिव (वाड़मेर)